



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 18 जनवरी, 1997 ई० (पौष 28, 1918 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

नगर विकास विभाग

23 दिसम्बर, 1996 ई०

सं० 4435/9-3-96--220 डब्लू-96--उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112-क, सं० प्रा० नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 296 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित और उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 27-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 1682/9-3-86-248 डब्लू-84, दिनांक 18 जून, 1986 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और सं० प्रा० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 104/9--3-220 डब्लू-96, दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली; 1996

भाग-1--सामान्य

1--संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 कहीं जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों पर लागू होगी।

(3) गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2--परिभाषाएं--यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में--

(एक) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार से है,

(दो) "केन्द्रीयित सेवा" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन सृजित की गई जल संस्थानों और निगमों और नगरपालिका परिषदों के जलकलों की सामान्य सेवाओं से है।

(तीन) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो,

(चार) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों में व "क" "ख" और "ग" के जलकल का तात्पर्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट उपकरणों से है।

(पांच) "श्रेणी एक, दो, तीन या चार की नगरपालिका परिषदों" का तात्पर्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषदों से है,

(छः) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(सात) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(आठ) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अधीन गठित नगर निगम से है,

(नौ) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस नियमावली के भाग पांच में विहित रीति से की गई भर्ती से है,

(दस) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ग्यारह) "सामान्य संवर्ग" का तात्पर्य केन्द्रीयित सेवाओं में पदों के संवर्ग से है जो पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में सम्मिलित नहीं है,

(बारह) "जल संस्थानों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जल सभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जल संस्थानों से है,

(तेरह) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली के अधी केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में किसी पद के प्रति आमेलित या नियुक्त व्यक्ति से है,

(चौदह) "अधिकारियों" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों से है,

(पन्द्रह) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(सोलह) "पालिका" का तात्पर्य, यथा स्थिति किसी नगर निगम या नगरपालिका परिषद से है,

(सत्रह) "पालिका पर्वतीय उप संवर्ग" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन गठित पालिका पर्वतीय उप संवर्ग से है,

(अठारह) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है, और

(उन्नीस) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

भाग-2--संवर्ग और सदस्य संख्या

3--केन्द्रीयित सेवाओं का गठन--पालिकाओं और जल संस्थानों में निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवाएँ होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे :

(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान .. (एक) नगर निगमों के नगर अभियन्ता (जल) ।
जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा

(दो) जल संस्थानों के महाप्रबन्धक ।

(तीन) अधिशासी अभियन्ता ।

(चार) सहायक अभियन्ता ।

(2) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान .. (एक) अवर अभियन्ता श्रेणी एक ।
अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा (दो) अवर अभियन्ता ।

स्पष्टीकरण--(1) नीचे स्तम्भ-1 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर आमेलित अधिकारी अपने आमेलन के दिनांक से इन पदों के सामने स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के पदों पर आमेलित समझ जायेंगे :

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

(1) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान .. (1) अधिशासी अभियन्ता नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के "क" श्रेणी के उपक्रमों जलकल अभियन्ता ।
जलकल अभियन्त्रण (वरिष्ठ) सेवा

(2) सहायक अभियन्ता नगरपालिका परिषद के और जल संस्थानों "ख" श्रेणी के उपक्रमों के जलकल अभियन्ता या सहायक जल अभियन्ता (अर्ह)

(2) उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, (3) अवर अभियन्ता (1) नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के "ग" श्रेणी के उपक्रमों जलकल अभियन्ता (अर्ह)
जलकल अभियन्त्रण (अधीनस्थ) सेवा श्रेणी-एक

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

- (2) मुख्य मीटर निरीक्षक
 (3) मुख्य पाइप लाइन निरीक्षक ।
 (4) मुख्य जोनल इंजिनियर
 (5) मुख्य वेस्ट इंजिनियर निरीक्षक ।

(2) अवर अभियन्ता पाइप लाइन निरीक्षक ।

4--वेतन सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, त्रियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये ।

5--सेवा की सदस्य संख्या--(1) नियम 3 के अधीन सृजित प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय-समय पर नियत करे ।

(2) जब तक सरकार पदों की संख्या अवधारित न करे जैसा कि उपनियम (1) के अधीन परिकल्पित है, सेवा में पदों की वर्तमान सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नगर निगमों, सभी श्रेणियों की नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों के अधीन दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 को पद विद्यमान थे, तथा उस दिनांक के पश्चात् ऐसे पद जो शासन के अनुमोदन से सृजित हुये ।

(3) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और जल संस्थानों की केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन किसी भी वर्तमान पद को, या किसी ऐसे पद को जो भविष्य में सृजित किया जाये, समाप्त करने का कोई अधिकार न होगा ।

भाग तीन--भर्ती का स्रोत और आमेलन

6--भर्ती का स्रोत--नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए--

(एक) अनुसूची-एक में उल्लिखित पद नियम 20 में दी गई रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे;

(दो) अनुसूची-दो में उल्लिखित पद भाग पांच में दी गई रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे;

(तीन) अनुसूची-तीन में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों स्रोतों और रीति से बराबर-बराबर संख्या में भरे जायेंगे किन्तु इस प्रकार कि शेषपद, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायगा :

परन्तु यदि इस उपनियम के अधीन यथास्थिति पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिये अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो कमी की पूर्ति उक्त दोनों स्रोतों में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है या सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति करके अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है :

परन्तु यह और कि अनुसूची-तीन में उल्लिखित सहायक अभियन्ता के पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से 5 प्रतिशतियां ऐसे अवर अभियन्ताओं में से भरी जायेंगी, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि हो, या जो इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के ऐशोसिएट मेम्बर हों ।

7--आमेलन--(1) इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पालिका और जल संस्थान के ऐसे अधिकारियों और सेवकों का, जो नियम 3 में निर्दिष्ट पद धारण कर रहे हों या उस पद के कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर रहे हों, आमेलन या उनकी सेवा की समाप्ति निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगी--

[एक] पालिकाओं और जल संस्थानों के ऐसे अधिकारी और सेवक जो नियम 3 में उल्लिखित किसी सेवा में कोई पद धारण कर रहे हों, जबकि वे अन्यथा विकल्प न करें, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुये, जैसा सरकार प्रत्येक मामले में पारित करे, अन्तिम रूप से आमेलित हो जायेंगे ।

[दो] ऐसे अधिकारी और सेवक जो खण्ड (एक) के अग्रे अन्तिम रूप से आमेलित किये जायें, सरकार के अनुवर्ती आदेशों द्वारा जिसे 31 दिसम्बर, 1986 के पूर्व पारित किया जायेगा, यदि उपयुक्त पाये जायें, अन्तिम रूप से आमेलित कर लिये जायेंगे ।

[तीन] यदि किसी मामले में खण्ड (दो) में उल्लिखित दिनांक से पूर्व सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाये तो अधिकारी या सेवक को अन्तिम रूप से आमेलन समझा जायेगा।

[चार] ऐसे अधिकारियों और सेवकों का जिनको पूर्ववर्ती खण्डों में नियमित किया गया है और जो आमेलन का विकल्प न करे और उन अधिकारियों और सेवकों का भी, जो आमेलन के लिये अनुपयुक्त पाये जायें, सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उन्हें उनके किये ऐसे छुट्टी, पेन्शन, भविष्य निधि या उपादान के किसी दवे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वे यदि यह नियमावली न बन गयी हो तो, यथास्थिति, अपनी सेवा-निवृत्ति या सेवा समाप्ति पर लेने-पाने के हकदार होते, निम्नलिखित प्रतिकर के हकदार होंगे—

(अ) स्थायी अधिकारियों या सेवकों को—

[क] उनकी सेवा की शेष अवधि के वेतन के बराबर धनराशि या

[ख] उन अधिकारियों और सेवकों की स्थिति में जिनकी इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व कुल निरन्तर सेवा दस वर्ष से अधिक हो, छः मास के वेतन के बराबर धनराशि और उन अधिकारियों और सेवकों की स्थिति में जिनकी उपयुक्त के अनुसार निरन्तर कुल सेवा दो वर्ष से अधिक न हो, तीन मास के वेतन के बराबर धनराशि, इनमें से जो भी कम हो।

(आ) खण्ड (क) में उल्लिखित अधिकारियों और सेवकों से भिन्न अधिकारियों और सेवकों की एक मास के वेतन के बराबर धनराशि।

स्पष्टीकरण—खण्ड (एक) में निर्दिष्ट ऐसे स्थायी अधिकारियों और सेवकों को जिनकी सेवायें इस खण्ड के अधीन समाप्त हो जायें, अनुमन्य पेन्शन या उपादान की, यदि कोई हो, गणना करने के प्रयोजन के लिये पेन्शन या उपादान की अर्हता प्राप्त करने के उनकी सेवा में निम्नलिखित अवधि बढ़ा दी गयी समझी जायेगी—

पेन्शन या उपादान की अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवाकाल

अवधि जो बढ़ा दी जायेगी

(एक) पांच वर्ष तक

एक वर्ष

(दो) पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक

दो वर्ष

(तीन) दस वर्ष से अधिक और पन्द्रह वर्ष तक

तीन वर्ष

(चार) पन्द्रह वर्ष से अधिक

चार वर्ष

स्पष्टीकरण दो—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए “वेतन” के अन्तर्गत कोई महंगाई भत्ता या अन्तरिम सहायता के रूप में कोई अन्य तदर्थ वृद्धि, जो अनुमन्य हो, भी है।

[पांच] खण्ड (चार) में उल्लिखित प्रतिकर का भुगतान, उस पालिका या जल संस्थान द्वारा, जिसके अधीन अधिकारी या सेवक इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नियोजित था, किया जायेगा।

[छः] खण्ड (एक) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग 31 अक्टूबर, 1986 के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है और उसके प्रयोग की सूचना सरकार को भेजी जायेगी जब तक इसके प्रतिकूल विकल्प का प्रयोग न किया जाये, अधिकारी या सेवक पूर्ववर्ती खण्डों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से आमेलित हो जायेंगे।

8—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार होगा।

भाग चार—अर्हतायें

9—केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना आवश्यक है—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) सिविकम की प्रजा; या

(ग) कोई तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो; या

(घ) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ग) या (घ) के किसी अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति अर्ह होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि वर्ग (ग) के किसी अभ्यर्थी से ऐसा पात्रता प्रमाण-पत्र मान्य करने की अपेक्षा की जायेगी जो उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया हो:

परन्तु तह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (घ) का हो, तो पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। उसके बाद वह सेवा में केवल तभी रखा जायेगा जब वह भारत का नागरिक हो जाय।

10--आयु--केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसमें भर्ती की जाय, के ठीक पश्चात्तवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 32 वर्ष की आयु न पूरी की हो :

परन्तु यह कि--

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसने यथास्थिति, किसी भी केन्द्रीयित सेवा या पालिका या जल संस्थान की किसी सेवा में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो; अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा 7 वर्ष इसमें जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी,

(2) यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर ठीक पश्चात्तवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायगा,

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी,

(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में आवश्यक समझे।

11--चरित्र--(1) नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का है कि उसके कारण वह केन्द्रीयित सेवाओं में सेवायोजना के लिये सभी प्रकार उपयुक्त हो।

(2) भर्ती के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस संस्था के, जिसमें वह अन्तिम बार पढ़ा हो, मुख्य अध्यक्ष का और दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों का (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों) चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जो राज्य सरकार या संघ की सक्रिय सेवा में हों और जो उनके निजी जीवन से भलो-भांति परिचित हों, किन्तु उनके विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जीवन से सम्बन्धित न हों,।

12--शारीरिक स्वस्थता--केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर मौलिक रूप से किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्ति नहीं किया जायगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ न हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे उसे अपने सरकारी कार्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पहले किसी अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह राज्य चिकित्सा परिषद के सामने चिकित्सीय परीक्षण के लिए उपस्थित हो:

परन्तु यह कि अधीनस्थ सेवा में पदों पर भर्ती के लिए अनुमोदित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगा कि वह शारीरिक स्वस्थता के विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

13--अर्हतायें--केन्द्रीयित सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की ऐसी अर्हतायें होनी चाहिये जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

14--अधिमान्य अर्हतायें--अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवाओं में सीधी भर्ती की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायगा जिसने (1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या (2) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

15—वैवाहिक प्रास्थिति—कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने लिए विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति के इस नियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

भाग पांच—सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

16—रिक्तियों की संख्या की सूचना देना—सरकार आयोग को वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगी और आयोग को सूचित करेगी ।

17—प्रार्थना-पत्र—(क) केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती के लिए प्रार्थना-पत्र आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायग ओर वे विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं और वे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे जो विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(ख) केन्द्रीयित सेवाओं में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से सरकार को प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें अपनी सामयिक रिपोर्ट सहित आयोग को भेज देगी ।

18—आवेदन की संवीक्षा, साक्षात्कार आदि—केन्द्रीयित सेवाओं के पदों पर भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी । आयोग प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संवीक्षा करेगा और अर्ह अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा । किसी भी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश का प्रमाण-पत्र न हो ।

अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक सारणी-बद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग उत्तने अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलायेगा जिन्होंने लिखित परीक्षा में सेवा के लिए अपनी उपयोगिता प्रदर्शित की हो । व्यक्तित्व परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गए अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे और उक्त दोनों अंकों के योग से योग्यता-क्रम को निर्धारित किया जायेगा ।

आयोग नियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से सम्बद्ध उपबन्ध के अधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों की एक सूची अधिमान-क्रम से तयार करेगा और उसे सरकार के पास भेज देगा, इस सूची में नामों का संख्या घोषित रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगी ।

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को योग में समान अंक प्राप्त हुए हों तो आयोग उनके नामों को सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयोगिता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगा ।

19—फीस—(1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी, आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये । फीस की वापसी के लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में पाठ्य विवरण और नियम सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे ।

20—अनुमोदित सूची—नियम 18 के अधीन आयोग द्वारा तयार की गयी सूची प्राप्त होने पर सरकार नियम 8, 11 तथा 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये एक प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी के नाम उसी क्रम में दर्ज करायेंगी जिस क्रम से आयोग ने नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफारिश की हो ।

भाग छः—पदोन्नति की प्रक्रिया

21—पदोन्नति—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पद क्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों की एक पात्रता सूची उप नियम (2) में दी गयी रीति में तयार की जायेगी ।

(2) उप नियम (7) में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सरकार ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसे पात्रता सूची कहा जायगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे—

1 से 5 रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का दो गुना किन्तु कम से कम 5,

5 से अधिक रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का 1 1/2 (डेढ़) गुना किन्तु कम से कम 10।

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी। ऐसे मामले में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी—

(क) द्वितीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा :

(ख) तृतीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथम दृष्ट्या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी, कि उन पर इस प्रकार की विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम में रिक्तियों की संख्या का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :

(क) वर्ग एक और वर्ग दो के पदों पर पदोन्नति की स्थिति में :

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग .. अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
कार्मिक विभाग या उनका नाम निर्देशित जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो .. सदस्य

(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश .. सदस्य

(चार) यदि उप खण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा, ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा .. सदस्य

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में :

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग या उनका नाम निर्देशित, जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो .. अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो .. सदस्य

(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश .. सदस्य

(चार) यदि उप खण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों में से, जो कम से कम उस पद से, जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा .. सदस्य

(4) (एक) सरकार चयन समिति की बैठक के लिए दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।

(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो यह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(तःन) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थी को चरित्र पत्रों पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।

(5) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात्—

सूची—“क” इसमें मौलिक रिक्तियों के प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे,

सूची—“ख” इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे,

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जाये तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के उपबन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा।

(6 क)—(एक) सूची “क” में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

(दो) सूची “क” में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी, जिनके लिये मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हों, उक्त क्रम में, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर, जो सूची “ख” में सम्मिलित हों, अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे।

(तीन) सूची “क” में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये उसके दौरान, जिनके लिये उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकती, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिये अग्रगणित किये जायेंगे या अनुवर्ती वर्ष के लिये तैयार और अनुमोदित की गयी सूची “क” के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(ख) उपनियम (6) के खण्ड (दो) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची “ख” में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची “ख” में आये हों, अस्थायी रिक्तियों के प्रति सूची “क” के निःशेषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु अस्थायी आधार पर, यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची “ख” से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे अधिकारी को उक्त पद पर, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

भाग—सात

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

22--नियुक्ति--(1) मौलिक रिक्तियों के होने पर, सरकार केन्द्रीयित सेवाओं में नियुक्तियां नियम 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से, और नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार, पदोन्नति द्वारा करेगी :

परन्तु जहाँ किसी मामले में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के द्वारा ही नियुक्ति की जानी हो तो सरकार पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी को दोनों में से यथासंभव बारी-बारी से अभ्यर्थी को लेकर ऐसी रिक्तियों में नियुक्त करेगी। अभ्यर्थी उसी क्रम से लिये जायेंगे जिस क्रम से उनके नाम सूची में हों और पहला अभ्यर्थी पदोन्नत अभ्यर्थियों की सूची से लिया जायगा।

(2) सरकार ऐसी स्थायी रिक्तियों में भी, जिनकी अवधि छः सप्ताह से अधिक हो, नियम 21 के अधीन पदोन्नति के लिये चुने गये व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकती है :

परन्तु यदि ऐसी नियुक्ति के लिये कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सरकार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकती है जो केन्द्रीयित सेवाओं में स्थायीतौर पर भर्ती के लिये इस नियमावली के अधीन पात्र हों इस उपबन्ध के अधीन नियुक्तियां उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के दिये गये उपबन्धों के अधीन होंगी।

23--तदर्थ नियुक्तियों का मियमितीकरण--कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर, 1986 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत रहा हो।

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियम 13 के अधीन नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो; और

(तीन) जिसने यथास्थिति तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो या पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में इस नियमावली में विहित उपबन्धों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके सेवा अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

(3) उपनियम (1) के प्रयोज्य के लिए सरकार एक चयन समिति का गठन करेगी और आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(4) स्थानीय निकाय निदेशक अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची, उक्त ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेंगे, जैसा कि इनकी तदर्थ नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित हो, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जायं तो उस क्रम में तैयार करेंगे, जिस क्रम में उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेखों सहित, जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक समझा जाय, चयन समिति के समक्ष रखा जायगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी।

(6) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी सूची में नाम ज्येष्ठताक्रम में रखे जायेंगे, और वह उसे सरकार और स्थानीय निकाय निदेशक को भेजेगी।

(7) सरकार या स्थानीय निकाय निदेशक इस नियम के उपनियम (2) और नियम (6) के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां उस क्रम में करेंगे जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

(8) उपनियम (7) के अधीन की गई नियुक्तियां नियम 21 में दिये गये सुसंगत उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(9) इस नियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियम के अनुसार चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में उसे इस नियम के अधीन उसकी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के भाग 5 में सीधी भर्ती के लिए निहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(10) यदि दो या अधिक व्यक्ति इस नियम के अधीन एक साथ नियुक्त किए जायं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

(11) ऐसे व्यक्ति की सेवा, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और उपयुक्त न पाया जाए या जिसका मामला इस नियम के उपनियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास के वेतन पाने का हकदार होगा।

24—परिवीक्षा—(1) केन्द्रीयित सेवाओं में मौलिक स्थिति में या उसके प्रति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु सरकार के केन्द्रीयित सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न और अस्थायी रूप से की गयी लगातार सेवा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवीक्षा अवधि में जोड़ने की अनुज्ञा दे सकती है :

परन्तु यह और कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष के मामले में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। बढ़ाने के ऐसे आदेश में यह ठीक अवधि लिखी जायेगी, जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ाई गई हो।

